FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [illegible] मुकाम

मगलाराम बनाम लच्छाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 111, 112 [illegible] नं. 165/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/06/19	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री खेताराम [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111, 112 [illegible] ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/06/19 को पेश हो।	
12/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील उपरान्त तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी रिकार्ड कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 25/06/19 को पेश हो।	
25/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी की अपने	

Scanned by CamScanner

खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करवाने आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेखम सम्बन्धित मौके पर मुल्क जमाकराकर स्थापित करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज रजिस्टर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 362 दिनांकः— 25/06/2019

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मगलाराम पुत्र अणदाराम वगैरा जाति जाट निवासी सखरोड़ा चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. तगाराम पुत्र पुनमाराम वगैरा 12 निवासी सखरोडा चौखला तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 165 / 19

आदेश

मौजा सखरोड़ा पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 62 रकबा 212.04 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतू तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वंय या अपने अधिनस्थ किसी भी भू. अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी नागाणा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (SDO)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 363 — 367 दिनांकः— 25/06/2019

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मगलाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री तगाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा /बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

Scanned by CamScanner